न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट भजेडा)

वाद संख्या :— 02 / 94 / 2013

कन्हैया बनाम कजोड वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 28.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट भजेडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 01.05.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 318, 337, 338, 343, 344 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 02.07.2013 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि आराजी विवादित से प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में रूकावट न करें, सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा नहीं करें, रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य अप्रार्थीगण की तामील हेतु बार बार अवसर दिए जाने के बाद भी नोटिस पेश कर पालना नहीं की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2065—68 खाता संख्या 6, 7 वाके गोविन्दपुरा के अंकित इन्द्राज से प्रथम दृष्टया प्रार्थी की खातेदारी साबित नहीं है व प्रकरण वर्ष 2013 से विचाराधीन है जिसका निस्तारण तामील के अभाव में गत 5 वर्षों से नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 318, 337, 338, 343, 344 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 01.05.2013 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 कैम्प कोर्ट भजेडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट भजेडा)